दिनांक 23.09.2024	
प्रेस विज्ञप्ति 30/2024	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22/23.09.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भाटनपुर सरैया जलालपुर पनवारा रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चप्पड़ राजन काले उर्फ चपप्ड घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 15 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कन्नौज व मध्यप्रदेश के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चप्पड़ राजन काले उर्फ चपप्ड़ निवासी ग्राम मुरादपुर थाना धरनावदा जनपद गुना मध्यप्रदेश, हालपता ग्राम बंजरवाड़ी थाना दौलताबाद जनपद औरंगाबाद महाराष्ट्र।

बरामदगी

1—15 हजार 200 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बिजनौर/थाना नहटौर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 20 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 22.09.2024 को थाना नहटौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—नसीम 2—मो0सोनू 3—राकेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नहटौर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नसीम के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त मो0 सोनू के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त राकेश के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नहटौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नसीम निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2—मो0सोनू निवासी ग्राम अमखेड़ा संजरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

3—राकेश निवासी मो0सिविल लाइन कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—चोरी के 20 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद हरदोई/थाना टडियावां

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **21 हजार 500 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 पिअकप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 23.09.2024 को थाना टडियावां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सेखौरा के पास से 02 अभियुक्तों 1—सईद उर्फ सईदा उर्फ जुम्मी 2—बब्बन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 21 हजार 500 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 पिअकप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सईद उर्फ सईदा उर्फ जुम्मी के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर, बरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 59 अभियोग एवं अभियुक्त बब्बन के विरूद्ध जनपद खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना टडियावां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सईद उर्फ सईदा उर्फ जुम्मी निवासी मो0 ककरहा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2—बब्बन निवासी ग्राम सहजनिया थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1–21 हजार 500 रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 पिअकप वाहन आदि।

- **जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कपिल को आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना बिसंडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बिसंडा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजाराम को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगाँव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगाँव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नवीन कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफ–जनपद–प्रतापगढ़ से लूट की घटना में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास गिरि गिरफ्तार।</u>

दिनांक 23–09–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को जनपद प्रतापगढ़ के थाना सांगीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2024 धारा 392, 506 भादवि में वांछित एवं रूपये 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास गिरि को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>:

1. विकास गिरि पुत्र रामचन्द्र गिरि निवासीग्राम देऊम पष्चिम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>–

डोभियार तिराहा लालगंज, भुइसरनाथ रोड सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 23–09–2024 समय 16:15 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास गिरि उपरोक्त की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण राजेष कुमार, अमित शर्मा, चन्दन भारती व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही में भ्रमणशील थी। थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2024 धारा 392/506 भादवि में वांछित रूपये 25,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास गिरि उपरोक्त की प्रतापगढ़ में मौजूद होने की मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर टीम द्वारा डोभियार तिराहा लालगंज, भुइसरनाथ रोड सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ पर पहुॅचकर अभियुक्त उपरोक्त को समय 16:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त विकास गिरि उपरोक्त ने बताया कि देशी शराब के सेल्समैन तेज प्रताप सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह निवासी ग्राम पूरे दित्तन मंगापुर, थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ की दुकान देऊम थानाक्षेत्र सांगीपुर प्रतापगढ़ में है जो दिनांक– 17–01–2024 को समय लगभग 09.25 बजे शराब की दुकान बन्द कर रहा था तभी यह अपने अपने साथी प्रदीप यादव, सचिन व शेखर पासी पीछे से सेल्समैन तेज प्रताप सिंह के कनपटी पर असलहा सटाकर दीवाल की तरफ मुॅह करके खड़ा रहने के लिए कहा तथा शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए बिक्री का रखा हुआ 23,800/–रू0 व शराब लेकर चला गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में सेल्समैन श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0–09/2024 धारा–392, 506 भादवि का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। नाम प्रकाष में आने एवं पुरस्कार घोषित हाने की जानकारी पर यह लुकछिप कर रहने लगा था।

गिरफ्तार अभियुक्त विकास गिरि उपरोक्त को थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2024 धारा 392, 506 भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त विकास गिरि उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–</u>

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	15/2016	352/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	सांगीपुर	प्रतापगढ़

2	53／2017	392／411 भादवि	सांगीपुर	प्रतापगढ़
3	182／2017	41／411／413／419／420／467／468／471 भादवि।	सांगीपुर	प्रतापगढ़
4	183／2017	3／25 आर्म्स एक्ट	सांगीपुर	प्रतापगढ़
5	48／2018	2／3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट	सांगीपुर	प्रतापगढ़
6	09／2024	392／411／506 भादवि (वांछित)	सांगीपुर	प्रतापगढ़
7	31／2024	394 भादवि	अन्तू	प्रतापगढ़

——————